

न्यायालय नायब तहसीलदार पी.लाला (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा  
बनाम

अप्रार्थी :- श्री बालराम / हरनाथ निवासी लाखियास अन्तर्गत धारा 91 नू-राजस्थान  
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 48 / 2018

निर्णय

दिनांक 31.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद लाखियास के खसरा नम्बर 62 में किरम कै.कु.उत्प में रकबा 0.07 ई. वीघा भूमि में कपास लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ..... ने दिनांक ..... को उपस्थित होकर ..... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट को अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का लाखियास के खसरा नम्बर 62 किरम में कै.कु.उत्प में रकबा 0.07 ई. वीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 61 ई. रुपये प्रति ई. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.07 ई. का भूमि के 0.42 रुपये लगान का 50 गुणा 21 / - अक्षर इक्कीस रुपये दत्तार जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्थान लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पी.लाला